इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013—माघ 26, शक 1934

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 2013

क्र. एफ-10-6-2012-सत्रह-मेडि-2.—यत: मध्यप्रदेश राज्य देश में तिलहन का मुख्य उत्पादक है. यहां सोयाबीन, सरसों, मूंगफली तथा बिनौले का प्रचुर उत्पादन होता है. इस राज्य के गरीब लोग प्रतिदिन खुला खाद्य तेल क्रय करते हैं क्योंकि वे दैनिक आधार पर मजदूरी का भुगतान प्राप्त करते हैं तथा वे प्रतिदिन के उपभोग हेतु कच्चा खाद्य पदार्थ क्रय करते हैं. सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से मजदूर वर्ग डिब्बाबंद तेल नहीं खरीद सकते, अतएव, खुले तेल की बिक्री पर प्रतिबंध उनके जीवन-यापन को कठिन बनाएगा;

और, यत:, इस कारण तथा विशेष परिस्थितियों में यह समीचीन है कि जनहित में, खाद्य तेल की खुली बिक्री की छूट दी जाए;

अतएव, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.15 के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, जनहित में, खाद्य तेल को, उक्त विनियम के उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के उपबंधों से, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये छूट प्रदान करती है.

No. F 10-6-2012-XVII-Medi-2.—WHEREAS, the State of Madhya Pradesh is a chief producer of oilseed in the country. There is a bumper porduction of Soyabean, Mustard, Groundnut and Cottonseed. Poor people of this State purchase loose edible oil every day when they get the payment of wages on daily basis and they purchase raw food materials for consumption every day. Common man especially those who belong to labour class can not purchase packed oil, therefore, prohibition on the sale of loose oil shall make their life troublesome;

AND, WHEREAS, due to this reason and special circumstance, it is expedient in the public interst to exemept the sale of edible oil in loose form;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 2.3.15 of the Food Safty and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011, the State Government, hereby in the public interest exempts the edible oil from the provisions of clause (b) of sub-regulation (1) of the said regulation for a period of one year from the date of publication of this notification in the official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.